

Employee Details

लॉगिन उपयोगकर्ता:

3012396158

बीमाकृत व्यक्ति संख्या अवधि हितलाभ अवधि पात्रता हितलाभ की अंतिम तिर्व	-	वर्तमान अवधि		बीमाकृत व्यक्ति का ना		TINKU PA	NDIT	
हितलाभ अवधि पात्रता		वर्तमान अवधि			बीमाकृत व्यक्ति का नाम		TINKU PANDIT	
•			वर्तमान अवधि		दिनांकित पर रिपोर्ट की गई		22/09/2024 22:49:36 Hrs	
हितलाभ की अंतिम तिर्व								
	हितलाभ की अंतिम तिथि हितलाभ की अंतिम तिथि कुल मजदूरी कुल कार्य दिवस भुगतान / देय अंशदान अवधि से अंशदान अवधि तक							
01 Jan 2024 30	Jun 2024	163184.00	183		01 Apr 2023		30 Sep 2023	
01 Jul 2024 31	Dec 2024	134786.00	182		01 Oct 2023		31 Mar 2024	
ईएसआईसी लाभ के लिए पात्रता								
लाभ प्रकार	पात्रता की स्थि	स्थिति लाभ के लिए अपात्रता के संभावित कारण यदि पात्रता के स्थिति नहीं है						
चिकित्सा लाभ		हाँ	IP / IW बीमा योग्य रोजगार पूरा नहीं किया गया है		नहीं हैं और अंशदायी शर्तों को संगत अंशदान अवधि में			
मातृत्व लाभ		नहीं			पर 9 महीने का बीमा योग्य रोजगार। i 70 दिनों से कम का अंशदान।			
अस्वस्थता लाभ		हाँ	* संग * यवि	*नियुक्ति आरएसटी नियुक्ति की तारीख से 9 महीने से कम का बीमा योग्य रोजगार * संगत योगदान पेनोड में 78 दिनों से कम का योगदान। * यदि किसी अंशदान अवधि में पहली बार बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश किया और इस छोटी अंशदान अवधि मेआधे से कम दिनों के लिए अंशदान दिया।				
विस्तारित बीमारी लाभ		हाँ	* दो * चा	*सूचीबद्ध 34 बीमारियों में से कोई भी पीड़ित नहीं है। * दो साल से कम लगातार बीमा योग्य रोजगार। * चार अंशदान अवधि (दो वर्ष) में 156 दिनों से कम अंशदान दिया गया। * चार पूर्ववर्ती अंशदान अवधि में से किसी एक में SB के लिए हकदार नहीं है।				
संवर्धित बीमारी लाभ		हाँ	अस्व	अस्वस्थता लाभ के लिए पात्र नहीं				
बीमाकृत व्यक्ति के लिए सुपर स्पेशलिटी		हाँ		*पंजीकरण की तारीख से छह महीने की सेवा पूरी नहीं की। *अंशदान अवधि में 78 दिनों से कम का योगदान।				
परिवार के लिए सुपर स्पेशलिटी		हाँ	* पंज * दो	* पंजीकरण की तारीख से सेवा का एक व * दो अंशदान अवधि में से प्रत्येक में 78 दि		पूरा नहीं हुआ। ों से कम का अंशदान।		
अस्थायी विकलांगता लाभ		हाँ	ईएसआई अधिनियम के अनु		ार रोजगार चोट या व्यावसायिक रोग के कारण अक्षमता।			
अस्थायी विकलांगता लाभ		हाँ	ईएस	ईएसआई अधिनियम के अनुसार रोजगार चोट या व्यावसायिक रोग के का		क रोग के कारण अक्षमता।		
आश्रित लाभ		हाँ	बीमा व्याव	बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु ईएसआई अधिनियम के अनुसार रोजगार चोट या व्यावसायिक रोग के कारण नहीं है।			ोजगार चोट या	
आर.जी.एस.के. यो.		हाँ	तारी प्रतिश् अमा	ख पर एक आईपी / आईड श्वान को बंद करना या गैर-र न्यता।	टनी के कारण बीमा योग्य रोजगार के नुकसान की ब्ल्यू नहीं, आईडी अधिनियम के तहत कारखाने / रोजगार की चोट से उत्पन्न 40% से कम नहीं की स्थायी तीन वर्ष से कम (एक वर्ष = 156 दिन) का भुगतान / देय।			

^{*} सूची विस्तृत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कृपया नजदीकी शाखा कार्यालय या www.esic.nic.in पर जाएं। यहां दिखाई गई पात्रता की स्थिति आज की तारीख में है और आगे मेडिकल सर्टिफिकेट और / या अन्य शर्तों के अधीन है।

^{##} The eligibility shown here based on the circular number V-14/11/6/2018/Med.I Misc dated 11.03.2021 # Eligibility shall be subject to decision/discretion of the treating clinician.

निरस्त करें

अस्वीकरण: कॉपीराइट © 2021,क°रा°बी° निगम, भारत। सर्वाधिकार सुरक्षित। 1024 x 768 पिक्सल्स में स्पष्ट दृश्यता , साइट अनुरक्षण : क°रा°बी° नि॰| सीएमएस कम्प्युटर लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन तथा डेवेलप । बीमाकृत व्यक्ति16